(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रंजीडेन्सी रोड, जोघपुर) (ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांक:- 364 %

दिनांक:- 19 01 २०२३

ई-निविदा सूचना

IJ.	B.	No	 	
\circ .	\sim	110111111111		

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से दो रोड स्वीपर मशीनों के रखरखाव एवं संचालन हेतु निविदाएं अनुभवी एवं योग्य प्रतियोगियों से ई निविदा प्रकिया से आंमत्रित की जाती है। निविदा की विस्तृत शर्ते www.eproc.rajasthan.gov.in, www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs एवं www.sppp.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

आयुर्क्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण

कमांक:- 3646 रि. 3656 प्रतिलिपि:- दिनांक:-

- 1 निजी सहायक, महापौर महोदया, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 2 अतिरिक्त आयुक्त, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- उपायुक्त (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- वेखाधिकारी, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 5 अधिशाषी अभियंता (गैरेज), नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 6 बिल लिपिक, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 7 प्रोग्रामर, नगर निगम जोधपुर दक्षिण को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा नगर निगम की वेबसाईट <u>www.urban.rajasthan.gov.in/mcjs</u> , <u>www.sppp.rajasthan.gov.in</u> पर अपलोड करें।
- 8 राजस्थान संवाद जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त निविदा एक राज्य स्तर के समाचार पत्र में जिनकी प्रतिदिन प्रतियों की संख्या 50 हजार या इससे अधिक हा एवं एक क्षेत्रीय स्तर के समाचार पत्र में न्यूनतम साईज में प्रकाशित कर बिल राजकीय दर से भिजवाने की व्यवस्था करावें।
- 9 सहायक अभियंता (यांत्रिक) गैरेज शाखा दक्षिण को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निविदा www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करावें।
- 10 नोटिस बोर्ड, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।
- 11 गार्ड फाईल, नगर निगम जोधपुर दक्षिण।

आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोघपुर) (ceo_nnj@rediffmail.com_Tel: 0291-2651464)

दिनांक:-

कमांक:-

ई-निविदा सूचना

नगर निगम जोधपुर दक्षिण की ओर से निविदा शर्तों के अनुसार अनुभवी एवं योग्य फर्मों / संवेदकों से निर्धारित प्रपत्र में ई—प्रोक्युरमेन्ट प्रकिया से निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती है जो निम्नलिखित दिनांक अनुसार डाउनलोड तथा खोली जायेगी।

महत्वपूर्ण दिनांकों का विवरण

विवरण	दिनांक	समय
ऑन लाईन निविदा फार्म अपलोड करने की दिनांक व समय	23/01/2023	4.00 Pm.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराना प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	24/01/2023	11.00 Am.
ऑन लाईन निविदा फार्म जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	14/02/2023	3-00 Pm.
निविदा शुल्क / घरोहर राशि /ई—टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क के डी. डी / बैंकर्स चैक की मूल प्रति गैरेज शाखा दक्षिण कक्ष नगर निगम कार्यालय में जमा कराने की अन्तिम दिनांक व समय	14 02 2023	3.30 Pm.
ऑन लाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय	14/02/2023	4.00 Pm.

निविदा का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्रं. सं.	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (रूपये में)	धरोहर राशि (रूपये में)	निविदा शुल्क (रूपये में)	प्रकिया शुल्क (रूपये में)	कार्य की अवधि
1	दों रोड स्वीपर मशीनों के रखरखाव एवं संचालन मय समस्त व्यय एवं POL	325 लाख	650000	2000 / -	1000/-	2 वर्ष

निविदा की महत्वपूर्ण शर्ते निम्नानुसार है :-

- 1. निविदा की प्रकिया ऑन लाईन होगी। निविदा प्रपत्रों को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को निविदा को इलेक्ट्रोनिक फॉर्मेट में वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करानी होगी।
- 2. निवेदा खोलने की तिथि को किसी कारणवंश यदि निविदाएं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस को निविदायें खोलने का कार्य जारी रखा जावेगा।
- 3. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु निम्नलिखित राशि के डी.डी/बैंकर चैक की मूल प्रति नगर निगम जोधपुर दक्षिण कार्यालय गैरेज कक्ष में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है।



	क्र.सं.	शुल्क विवरण	शुल्क राशि	भुगतान का प्रकार	देय
	1.	निविदा शुल्क	2000 / -	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
,	2.	धरोहर राशि	650000	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण
	3.	ई—टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क	1000 / -	डिमाण्ड ड्रॉफ्ट / बैंकर चैक	MD RISL, JAIPUR

- 4. प्रदत दरें निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिवसों तक निविदा स्वीकृति हेतु मान्य रहेगी। यदि निविदादाता उस अवधि में अपनी निविदा अथवा शर्तों में किसी प्रकार का संशोधन करता है अथवा अपनी निविदा वापस ले लेता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी।
- 5. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इंजीनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमित के बिना, सेवानिवृति के पश्चात 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमित, निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहां से सेवायें लेने से पहले नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
- 6. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।

आयुक्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण

(g) .

(नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोघपुर) (ceo nnj@rediffmail.com Tel: 0291-2651464)

कमांक:-

दिनांक:-

दों रोड स्वीपर मशीनों के रखरखाव, संचालन कार्य हेतु निविदा की नियम व शर्ते

1. कार्य की परिभाषा :-

1. निविदादाता को निविदा सुचना में दिये निर्देशो के अनुसार इलेक्ट्रोनिक प्रकिया से प्रस्तुत करना होगा निविदा दो लिफाफा पद्वति द्वारा इलेक्ट्रोनिक प्रक्रिया से प्रस्तुत करनी होगी। प्रथम तकनिकी बिड एवं द्वितीय वित्तीय बिड होगी। तकनिकी बिड में योग्य पाये गये निविदादाताओं की वित्तिय बिंड खोली जायेगी। वित्तीय बिंड खोलने की सूचना प्रथक से प्रेषित की जायेगी।

2. निगम दक्षिण द्वारा निविदादाता को दो रोड स्वीपर मशीन सुपुर्द की जायेगी जिनकी समय पाबन्द संचालन एवं उचित रखरखाव हेत् चालक मैकेनिक, हेल्पर, डीजल, ऑयल ल्युब्रिकेन्टस, पार्टस मरम्मत आदि की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

मशीनों का रखरखाव संचालन शर्तो अनुसार करना होगा।

3. मशीनों का संचालन गैरेज / निगम द्वारा निर्देशित स्थल से किया जायेगा। कार्य की समाप्ति पश्चात मशीन उक्त स्थल पर ही रिपोर्ट करेंगे।

4. उक्त मशीन उपयोग अवस्था सुपुर्द किये जायेगें। मशीन का अवलोकन अधिकारियों

द्वारा किसी भी कार्य दिवस में किया जा सकता है।

5. मशीन के खड़े रखने हेतु समुचित स्थल/निगम क्षेत्र में करने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी एवं समस्त वाहनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदादाता की

6. संविदा की अवधि 02 वर्ष अथवा अग्रीम आदेश तक होगी। संवेदक की दरे कार्यादेश होने की दिनांक से दो वर्ष पश्चात नई निविदा होकर कार्यादेश जारी होने तक

प्रभावी रहेगी।

7. नियमित कार्यो के समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी आवश्यक होगी। जिसके अभाव मे शर्तो का उल्लंघन माना जावेगा।

8. निविदादाता द्वारा अधिकृत डीलर से ओरिजनल इक्विपमेंट के साथ ही मरम्मत करवानी होगी। जिसके साक्ष्य स्परूप मांगे जाने पर अधिकृत डीलर की Invoice प्रस्तुत करनी होगी।

9. रोड स्वीपर मशीन के साथ नियमित रोड स्वीपींग हेतु आवश्यक श्रमिक (कम से कम

दो श्रमिक प्रति मशीन चालक अतिरिक्त) लगाकर कार्य कराना होगा।

10. नगर निगम के सभी 80 वार्डों में बिछी हुई मुख्य रोड मार्गो की नियमित सफाई

11. मशीनो के कार्य का निर्धारण निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी करेंगें उसी अनुसार कार्य किया जायेगा। मशीनों की दैनिक कार्यो / रोड का आवंटन अधिकृत अभियता द्वारा किया जायेगा कार्य का प्रमाणीकरण सम्बन्धित वार्ड प्रभारी से कराने हेत् फर्म जिम्मेदार होगी मासिक प्रमाणीकरण HO से करवा बिल गैरेज शाखा को प्रस्तुत करने होंगे।

12. निविदा में दर GST के अतिरिक्त सभी करो सहित देनी होगी। तथा प्रस्तुत दावे में से टी.डी.एस. एवं अन्य करो की, कटौती नियमानुसार की जायेगी। लागू होने पर GST

- 13. उपरोक्त जॉब कार्य पूर्ण रूप से कोन्ट्रेक्ट बेसीस पर होगा फर्म द्वारा संचालन रखरखाव के लिये लगाये श्रमिक का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का स्वयं का होगा किसी भी स्थिति में इन श्रमिको की सेवा व क्य सम्बन्धी मामले में विवाद पर नगर निगम का कोई दायित्व नही होगा न ही किसी प्रकार का क्लेम देय होगा।
- 14. मशीनों की संख्या मे बिना बताये कमी करने / बढाने का अधिकार निगम हो रहेगा।

2. निविदा प्रस्तुत करना :-

- निविदा द्वि—स्तरीय बिड पद्धित के अनुसार ऑनलाईन आमंत्रित की गयी है जिसमें प्रथम तकनिकी बिड होगी जिसमें तकनिकी निविदा के साथ मांगे गये सभी दस्तावेज एवं निविदा के लिए निर्धारित तकनिकी मापदण्डों से सम्बंधित सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी। द्वितीय बिड वित्तीय बिड होगी जिसमें उपरोक्त कार्य करने हेतू कार्य की दर ऑनलाईन ही अपलोड किये गये निर्धारित प्रारूप (BOQ) में प्रस्तुत करनी होगी। तकनीकी बिड में निविदा के लिए निर्धारित मापदण्डों के परिपेक्ष्य में योग्य पाये जाने पर सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना पृथक से प्रेषित की जायेगी।
- 2. पत्राचार हेतु नगर निगम का पता :-

''आयुक्त'' नगर निगम जोधपुर दक्षिण, जोधपुर (नगर निगम भवन, पोलोटेक्निक कॉलेज परिसर, रेजीडेन्सी रोड, जोधपुर) (ceo_nnj@rediffmail.com_Tel: 0291-2651464)

संवेदक	का	पत्राचार	हेतु	पता	(संवेदक	अपना	स्थाई	पता,	फैक्स,	ई-मेल,	फोन
				•	गम्बर अंग्	केत करें	₹):—				

3. संवेदक की पात्रता:-

- 3.1 निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं ई—टेण्डरिंग प्रकिया शुल्क हेतु डी. डी / बैंकर चैक की स्केन / प्रति।
- 3.2 निविदादाता / फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय (GSTIN) में पंजीयन होना आवश्यक है। PAN Card एवं GSTIN पंजीयन प्रमाण पत्र की स्केन प्रति।
- 3.3 फर्म का गत 3 वर्षों में औसत टर्न ओवर 500.00 लाख रूपये वार्षिक से कम नहीं होना चाहिये। टर्न ओवर के प्रमाण स्वरुप सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र या गत तीन वर्षों की सी.ए. द्वारा अंकेक्षित बेलेन्स सीट की स्केन प्रति।
- 3.4 फर्म को पिछले 5 वर्षों में से किसी दो वर्ष में न्यूनतम रूपये 200.00 लाख की राशि तक निविदा में अंकित कार्य का एवं चार Similal Capicity Machine चलाने का कार्य अनुभव किसी राजकीय विभाग / स्वायतशासी संस्था / नगर निगम आदि में कार्य का अनुभव होना चाहिये। इसके साक्ष्य स्वरूप सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण करने के प्रमाण पत्र की प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। अनुभव प्रमाण पत्र अधिशाषी अभियंता या इसके ऊपर के रैंक के अधिकारी के द्वारा जारी किया होना आवश्यक है। इसके अभाव में प्रस्तुत तकनीकी निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3.5 निविदादाता / फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि विभाग में कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 के तहत एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के तहत रजिस्ट्रेशन / पंजीकरण होन्य, आवश्यक है। पंजीयन की स्केन प्रति।

(a) VI METT

3.6 किसी भी तरह का Joint Venture स्वीकार्य नही होगा।

3.7 निविदादाता फर्म / संवेदक किसी भी सरकारी कार्यालय / अर्द्वसरकारी कार्यालय / नगर निगम से ब्लैकिलस्ट नहीं होना चाहिये तथा फर्म / संवेदक का कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होना चाहिये। ब्लैक लिस्ट नहीं होने एवं कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर दक्षिण में कार्यरत नहीं होने से सम्बंधित शपथ पत्र रूपये 100 / — के नॉन—ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना होगा जो कि निविदा खोलने के समय से पूर्व नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा तथा इसकी स्केन प्रति तकनीकी निविदा के साथ ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

3.8 निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर आवेदक के हस्ताक्षर व सील लगाकर निविदा प्रपत्र की

स्केन प्रति।

3:9 सुंवेदक द्वारा परिशिष्ट 'ब' में अंडरटेकिंग की स्केन प्रति।

3.10 निविदादाता के द्वारा RTPP Act के सेक्सन 7 & 11 में घोषणा पत्र की स्केन प्रति।

3:11 संवेदक का C' Class & Above में किसी भी निकाय में Registration होना चाहिए।

नोट :— उपरोक्त बिन्दु संख्या 3.1 से 3.11 तक निर्धारित तकनिकी मापदण्डों हेतु आवश्यक उल्लेखित दस्तावेज 'ई' निविदा में तकनिकी बिड के साथ अपलोड करने होंगे। अपलोड किये गये दस्तावेजों के सम्बन्ध में निविदा समिति निविदादाता से स्पस्टीकरण मांगने हेतु स्वतंत्र है। निविदादाता द्वारा स्पस्टीकरण दी गई समयाविध में प्रस्तुत नहीं करने पर निविदा दाता को तकनिकी बिड के मुल्यांकन में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वितिय बिड नहीं खोली जायेगी।

4. सामान्य शर्ते :--

1. निविदादाता द्वारा निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क हेतु डी.डी. / बैंकर्स चैक की मूल प्रति कार्यालय नगर निगम जोधपुर दक्षिण गैरेज शाखा में नियमानुसार निविदा खोले जाने के समय से पूर्व में जमा करवाना आवश्यक है। बिना निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रकिया शुल्क के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

2. निविदा शुल्क व ई—प्रकिया शुल्क की राशि वापस नहीं दी जावेगी।

3. निविदा प्रस्तुत करने के लिये सभी व्यय संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। उक्त व्यय के लिए नगर निगम उत्तरदायी नहीं है।

4. निविदा दस्तावेज अपलोड करने से पूर्व निविदादाता को कार्य की प्रकृति, कार्य क्षेत्र इत्यादि का निरीक्षण / जानकारी कर लेने की सलाह दी जाती है। इससे सबंधित समस्त व्यय निविदादाता को ही वहन करने होगें।

5. निविदादाता कार्य की प्रकृति, कार्य क्षेत्र, निविदा दस्तावेज, विभिन्न नियम—शर्तो / निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वितीय प्रस्ताव में अपनी दरें प्रस्तुत करें। निविदादाता द्वारा वितीय बिड में प्रस्तुत दरें निविदा की सम्पूर्ण समयाविध के लिए स्थिर (फिक्स) रहेगी जो कि किसी भी स्थिति में परिवर्तनीय नहीं होगी। प्रस्तुत दरें जी.एस.टी. के अतिरिक्त सभी करों सहित होगी।

6. निविदा प्रस्तुत करने के पश्चात् निविदादाता, निविदा में किसी प्रकार का संशोधन / निविदा को प्रत्याहत नहीं कर सकेगा।

7. निविदा एवं कार्य से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की सूचना, विभिन्न नियम / शर्तों, विवरण पर जानकारी हेतु निविदा प्रपत्र अपलोड करने से पूर्व नगर निगम जोधपुर गैरेज शाखा कार्यालय समय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

8. वित्तीय प्रस्ताव में प्रस्तुत दरों मे जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के अतिरिक्त सभी टैक्स सिम्मिलित होगें। जीएसटी लागू होने पर पृथक से देय होगा। भुगतान में से टी.डी.एस. व अन्य करों की कटौती नियमानुसार की जायेगी तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।

9. संविदा की अविध दो वर्षों की होगी। कार्य संतोषजनक होने पर संवेदक की सहमित से अधोहस्ताक्षरकर्ता कार्य अविध् बढाये जाने हेतु स्वतंत्र है। कार्य संतोषजनक नहीं होने अथवा

A you

- अन्य परिस्थितियाँ होने पर किसी भी समय निगम निविदा निरस्त कर सकता है जिस पर कोई वाद मान्य नहीं होगा तथा न ही संवेदक को संविदा में बचे हुए समय के लिए कोई क्षतिपूर्ति राशि देय होगी।
- 10 नियमित रूप से कार्य की समय पाबन्द व्यवस्था व त्वरित निर्देश प्रवाह हेतु निविदादाता/संवेदक को निरन्तर संचालन स्थिति में टेलिफोन/मोबाईल टेलीफोन की व्यवस्था रखनी होगी जिसके अभाव में शर्तो का उल्लघंन माना जावेगा। निविदादाता/संवेदक को जोधपुर स्थित अपने कार्यालय/कार्यशाला का पूर्ण पता प्रस्तुत करना होगा।
- 11 नगर निगम के द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात सफल संवेदक को निम्न औपचारिकताएँ 15 दिवस में पूर्ण करनी होगी :—
 - (क) नियमानुसार अनुबन्ध पत्र नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्रस्तुत करना।
 - (ख) निविदा की राशि के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक / शेड्यूल बैक की बैक गारण्टी / शेड्यूल बैक की एफ.डी.आर. "Commissioner Nagar Nigam Jodhpur South" के नाम जोधपुर में देय प्रस्तुत करने हेतु।
 - (ग) नगर निगम बैक गांरटी जारी करने वाले बैंक से बैक गारंटी प्रमाणीकरण करवाने हेतु स्वतंत्र है।
 - (घ) प्रतिभूति राशि जब्त करने की स्थिति में एफ.डी.आर. भी उक्त एफ.डी.आर. पर ब्याज सहित जब्त होगी।
 - (ड) प्रतिभूति राशि निविदा पूर्ण होने की दिनांक से 60 दिवस बाद तक वैध होनी आवश्यक है।
- 12 सफल निविदादाता को 15 दिवस में अनुबन्ध पत्र भरकर देना होगा तथा निविदा की राशि के 5 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि नगर निगम कोष में जमा करवानी होगी।
- 13 यदि सफल निविदादाता समयावधि में अनुबंध पत्र एवं प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है तो नगर निगम जोधपुर दक्षिण इस निविदादाता की निविदा को निरस्त कर एवं धरोहर राशि जब्त करते हुए RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए अगले न्यूनतम निविदादाता (L2) को कार्यादेश जारी करने हेतु स्वतंत्र है।
- 14 कार्यादेश के 15 दिवस में निविदा शर्तों की पालना करते हुए कार्य का संचालन शुरू करना होगा।
- 15 सफल निविदादाता की निविदा के समय जमा करायी गयी धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि के प्रति समायोजित कर लिया जाएगा। धरोहर राशि एवं प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज संदत नही किया जायेगा। निविदा पर अन्तिम निर्णय होने व कार्यादेश जारी करने के पश्चात् सफल निविदादाता के अलावा अन्य सभी निविदादाताओं की धरोहर राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी जो कि नगर निगम कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकेगी।
- 16 केन्द्रीय सरकार तथा राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति की राशि प्रस्तुत किए जाने से मुक्त होंगें।
- 17 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण (Forfeiture):— प्रतिभूति की राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा—
 - (क) जब संविदा के किसी निबन्धन और शर्तों को भंग किया जाता है।
 - (ख) जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से सेवा प्रदाय करने में विफल रहता है।
 - (ग) जब निविदादाता कार्यादेश में दी गई समयाविध में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
 - (घ) प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के मामले में उपयुक्त समय का नोटिस दिया जाएगा। इस सबंध में क्रय अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

and the second

- 18 निम्न स्थिति में धरोहर राशि जब्त कर ली जावेगी
 - (i) यदि निविदादाता निविदा खोलने के बाद से निविदा स्वीकार करने तक निविदा वापस ले लेता है या शर्तों में किसी तरह का संशोधन करता है।
 - (ii) जब निविदादाता कार्यालय आदेश जारी होने के पश्चात् दी गई समयाविध में अनुबंध पत्र प्रस्तुत नहीं करता है।
 - (iii) यदि सफल निविदादाता कार्यादेश के अनुसार दी गई अवधि में निविदा में अंकित कार्य का संचालन प्रारम्भ नहीं करता है।
 - (iv) जब प्रदाय आदेश दिए जाने के पश्चात् निविदादाता प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता है।
 - (v) यदि निविदादाता निविदा प्रपत्र में दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है।
- 19 निविदादाता द्वारा प्रस्तुत निविदा को निम्न स्थितियों में निरस्त माना जायेगा यदि-
 - (1) निविदा दस्तावेजों के प्रावधान के अनुसार योग्यता नहीं रखता हो।
 - (2) निविदा के साथ धरोहर राशि जमा नहीं की गई हो।
 - (3) जानबझकर तथ्यों को छिपाया गया हो या गलत पेश किया गया हो।
- 20 समयाविध के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदादाता द्वारा समयाविध के पश्चात् निविदा प्रस्तुत करने के लिए नगर निगम जोधपुर दक्षिण उतरदायी नहीं होगा। निविदा दस्तावेज/शुद्विपत्र/संशोधन ई— प्रोक्योरमेंट/SPPP पॉर्टल से डाउनलोड नहीं होने पर नगर निगम उतरदायी नहीं है।
- 21. माँगें जाने पर तकनिकी बिड दस्तावेजो की मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करनी होगी।
- 22 नगर निगम निविदा स्वीकार करने, अस्वीकार करने, आंशिक स्वीकार करने, निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। न्यूनतम निविदा स्वीकार करने के लिये नगर निगम बाध्य नहीं है। कार्य आदेश देने के पूर्व तक नगर निगम सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है।
- 23 निविदा में एक फर्म एक ही नाम से भाग ले सकेगी। एक से अधिक नामों के लिए टेण्डर स्वीकार नहीं किया जावेगा।
- 24 सफल निविदादाता द्वारा दो वर्षों की कार्य अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं किसी भी तरह का नगर निगम में बकाया नहीं होने के पश्चात् प्रतिभूति राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।

हस्तान्तरण/सुपुर्दगी:-

- निगम द्वारा उक्त समस्त वाहन मय आवश्यक दस्तावेजों की छाया प्रतियां निविदादाता को सुपुर्द किये जायेगे। हस्तांतरण के समय वाहन की केंडीशन का पूर्ण रिकार्ड रखा जायेगा हस्तान्तरण निम्न सदस्यों की समिति द्वारा किया जायेगा। (अ) कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी), (ब) अधिशाषी अभियंता (गैरेज), (स) उपायुक्त (गैरेज), (द) वित्तीय सलाहकार / लेखाधिकारी।
- 2. द्विवर्षीय दर अनुबंध की समाप्ति पर वाहन की सामान्य क्षिति पुर्ति करते हुए चालू हालत में निगम को सुपुर्द करने होगें।
- 3. दर संविदा अविधि में वाहनों में होने वाली टूट फूट या खराबी के लिये निविदादाता स्वयं जिम्मेदार होगा।

6. कार्य विधि:-

- 1. संचालन
- 2. सामान्यतया मशीनो का संचालन 12 घण्टे (प्रातः 7 बजे से सांय 7 बजे) के कुल समय में आवश्यकतानुसार 8 घण्टे की कुल कार्य अवधि के लिए किया जायेगा। आपातकालिन परीस्थिती या सक्षम अधिकारी को लिखीत आदेश की पालना में 8 घण्टे से अधिक भी

300

कार्य करना पर सकता है। 8 घण्टे से अधिक कार्य करने पर अनुपातिक रूप से अतिरिक्त भूगतान देय होगा एवं 8 घण्टे से कम कार्य पर अनुपातिक कटौति की कार्यवाही भी की जायेगी।

 जिसका निर्धारण उपयोगकर्ता अधिकारी द्वारा किया जायेगा। मशीन का संचालन पुरे माह (30/31 दिन) किया जायेगा। माह में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।

4. चालक मशीन के संचालन हेतु दक्ष व प्रशिक्षित वैध लाईसेन्सधारी होना आवश्यक है। इसके अभाव में हुई किसी भी शासकीय या आर्थिक हानि के लिये निविदादाता जिम्मेदार होगा।

5. निविदादाता को चालक आदि का उपयुक्त बीमा इन्श्योरेन्स कराना होगा एवं श्रम नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी। निविदा कार्य के दोरान उपयुक्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

6. लेबर चालक के अनुशासित समय पाबन्द मृदुभाषी होना आवश्यक है उसके दुर्व्यवहार व गलत आचरण के लिये निविदादाता ही जिम्मेदारी होगी व ऐसी स्थिति मे गैरेज प्रभारी के निर्देश या मांग पर उसी दिवस को उपर्युक्त लेबर, चालक को बदलना होगा। इस शर्त की पालना नहीं करने पर शर्तों का उल्लंघन माना जायेगा।

7. चालक या लेबर को किसी भी प्रकार का टी.ए. या डी.ए. निगम की ओर से देय नहीं होगा।

8. दोष पूर्ण संचालन से मशीन को हुई क्षित की भरपाई संवेदक को करनी होगी, जो फर्म के आगामी मासिक बिलो से कटौति की जायेगी।

9. उपलब्ध करवाये वाहन चालकों हेल्पर, Stanker का विवरण

क्र.सं.	वाहन चालक का नाम व पता

सफल संवेदक को वाहन चालको के वैद्य लाईसेन्स की प्रति प्रारम्भ से पूर्व अधिशाषी अभियंता (गैरेज) को प्रस्तुत करनी होगी।

- 10. संवेदक द्वारा कर्मचारियों को कार्य के दोरान PPE उपलब्ध करवाने होंगे। सुरक्षा उपकरण जैसे वर्दी, सेफ्टी जेकेट, मास्क, हेल्मेट, रोशनी, हैण्ड ग्लबज, इत्यादि अपने स्तर पर व्यवस्था कर हमेशा कार्य के दौरान साथ रखने होंगे। कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना के लिये निगम दक्षिण उत्तदायी नहीं होगा। सम्पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी निविदा दाता की होगी।
- 11. निविदादाता को निविदा के साथ फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग में रिजस्ट्रेकशन का प्रमाण पत्र संलग्न होगा। अन्यथा तकनिकी बिड में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी वित्तिय बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 12. संवेदक द्वारा प्रतिमाह प्रस्तुत किय जाने वाले बिल के साथ कर्मचारीयों की भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बिमा अंशदान की राशि सम्बन्धित विभाग में जमा कराने का प्रमाण पत्र एवं बैंक चालान की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। अन्यथा भुगतान नही किया जायेगा। GST अगर लागु हो, उसके भुगतान की प्रति आगामी बिल के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

7. रखरखाव :--

1. मशीन का Quarterly Maintenance & Repair अधिकृत डीलर से करवाना होगा जिसके साक्ष्य स्वरूप Invoice की प्रति प्रस्तुत करनी होगी। रखरखाव या संचालन का कार्य उक्त मशीने में Quarterly मेन्टीनेन्स शिड्यूल अनुसार कराया जायेगा। यदि मरम्मत व रखरखाव में किसी भी प्रकार की कमी या त्रुटि की जाती है तो निगम द्वारा कार्य या

रखरखाव में किसी भी

रूपेयर पार्ट या ल्युब्रिकेन्टस इत्यादि की आपूर्ति कर मशीन का संधारण किया जायेगा। जिसकी कटोती बिल से की जायेगी।

2. मशीन मु.स.नि. Office या site पर निर्धारित समय से विलम्ब से पहुचने या कार्य स्थल से समय पहले चले जाने पर घण्टे के अनुसार अनुपातिक कटौति एवं प्रति घटना 500/-की शास्ति होगी जिसका प्रमाणिकरण लोग बुक की प्रविष्ठी एवं GPS Report के परस्पर मिलान के आधार पर किया जायेगा।

3. रखरखाव के अन्तर्गत सम्पूर्ण चैसीस (इंजिन, क्लच, Gear Box, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफेन्शीयल, व्हील हब) की रिपेयर मेन्टेनेन्स मय Spare संवेदक के जिम्मे होगी। रोड स्वीपर मशीन के अन्तर्गत चैसीस पर माउन्टैड सम्पूर्ण मशीन के रिपेयर, मेन्टेनेन्स एवं संचालन की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। चैसीस एवं सिवर मशीन में किसी प्रकार की खराबी आने पर Site पर 1 घण्टे में On Road करनी होगी। On Road न होने पर 1 घण्टे पश्चात् कार्य के घण्टों अनुसार अनुपातिक कटौति की जायेगी।

4. निविदादाता रखरखाव के अन्तर्गत Quarterly Checkup/Mantenance अधिकृत डीलर सें करवायेंगें जिसके साक्ष्य स्वरूप डीलर का Invoice प्रस्तुत करना होगा।

दुर्घटनाः–

1. मशीन को दुर्घटना की रिथिति में किसी क्लेम या थर्ड पार्टी डेमेज नुकसार के लिये निगम दक्षिण उत्तरदायी नहीं होगा ना ही किसी प्रकार का भुगतान निगम द्वारा देय होगा। वाहनों का उचित बीमा कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। बीमा अवधि की समाप्ति पश्चात् कोई मशीन संचालित नहीं की जायेंगी नियमों के विरूद्व मशीनों को संचालित करने पर हुई किसी की क्षिति एवं सभी प्रकार के अदालती विवादों के लिये संवेदक जिम्मेदार होगा। समस्त खर्चा संवेदक को वहन करना होाग।

2. दुर्घटना या दोषपूर्ण संचालन आदि के कारण मशीन से हुई टूट फूट के लिये

निविदादाता जिम्मेवार होगा एवं समस्त व्यय संवेदक को वहन करना होगा।

9. कार्य प्रमाणन :-

1. मशीन के कार्य का प्रमाणीकरण GPS रिपोर्ट अनुसार किया जाकर Log Book प्रतिष्ठी से मिलान किया जायेगा उसी अनुसार भुगतान किया जायेगा कम या अधिक कार्य करने पर घण्टे अनुसार अनुपातिक भुगतान या कटोती की जायेगी।मशीनों पर GPS संवेदक द्वारा Install किया जायेगा।

2. निविदादाता स्वयं द्वारा उपलब्ध कराई लॉग बुक को भरे जाने एवं सक्षम अधिकारी या प्रभारी से प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायी होगा। अधिशाषी अभियंता (गैरेज) को प्रमाणित लॉग बुक प्रस्तुत करने हेतु निविदादाता उत्तरदायी होगा।

3. प्रत्येक माह का बिल अगले माह की 10 तारीख तक व HO के अन्तिम प्रमाणीकरण (हस्ताक्षर मय सील), पश्चात् सहायक अभियंता (यांत्रिकी) को 10 तारीख तक प्रस्तुत करना होगा।

4. निर्धारित कार्य दिवसों पर अनुपस्थित रहने पर 1000 रू. प्रति मशीन प्रतिदिन शास्ति वसूल की जोयगी। साथ ही अनुपस्थित दिवसों का नियमित भुगतान भी नही किया

5. विशेष परिस्थितियों में आपातकालीन कार्य हेतु मशीनों का संचालन निगम सक्षम अधिकारी की स्वीकृति पर करवाया जा सकता है। इसका अलग से भुगतान नहीं किया

6. मशीनों का दुरूपयोग किये जाने की स्थिति में निर्देशों के विपरित संचालन की स्थिति में आयुक्त द्वारा बिना कारण बताये अनुबंध को निरस्त करने एवं निगम आपने विवेक पर अन्य फर्म से कार्य करवाने हेतु स्वुक्रंत्र होाग एवं संवेदक विरूद्व वित एवं लेखा नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगे

311th

7. समस्त शर्तो की पालना में मतभेद होने पर आयुक्त द्वारा व्याख्या की जायेगी। परन्तु दोनो पक्षो में विवाद होने पर आर्बिट्रेटर द्वारा निर्णय दोनो पक्षो का मानना होगा। आर्बिट्रेटर क्षेत्रिय उपनिदेशक स्थनीय निकाय विभाग जोधपुर होगें।

8. निविदादाता द्वारा कार्य ना करने पर रिस्क व कोस्ट पर भी अन्य फर्म से कार्य कराया

जा सकेगा एवं अन्तर राशी की वसुली निविदा फर्म में से की जायेगी।

9. किसी भी विवाद में आयुक्त का निर्णय अन्तिम व दोनो पक्षो को मान्य होगा।

10. निविदा संबंधित सा.नि.वि. एवं लेखानियम RTPP नियम की शर्ते भी यथा परिवर्तन लागू होगी।

11. सभी विवादों का न्याय क्षेत्र जोधपुर होगा।

12. निगम की मशीनों का किसी भी कार्य दिवस पर गैरेज में अवलोकन किया जा सकता है।

13. कार्य आरम्भ से समाप्ती अविध के दौरान गैरेज अधिकारी या उसके निर्देशानुसार भेजे गये फीटर द्वारा किसी भी समय मशीनों का निरीक्षण किया जा सकता है। एवं मशीनों की हालत ठीक नही होने पर गैरेज अभियंता वाहन में होने वाली वास्तविक क्षिति के सम्बन्ध में ठीक कराने हेतु निर्देश जारी करेगा जिसकी पालना संवेदक को करनी होगी।

14. मशीन द्वारा समुचित सफाई नहीं करने या अपनी पूर्ण क्षमता से कार्य नहीं करने पर fild officer की लिखित शिकायत पर 1000/— रू. प्रतिदिन मशीन शास्ती प्रस्तावित की

जायेगी।

15. रोड.स्वीपर मशीन में लगे रियर इक्विपमेंट कम्पनी ब्रांड के माईनर, मेजर पार्टस, एसेम्बली ही खरीद कर लगानी होगी। Local निम्न क्लास की गुणवत्ता वाले Spare लगा कर रिपेयर करने पर हुई अन्य क्षति की वसुली भी निविदादाता जायेंगी के आगामी बिलों से की जायेगी।

10. निविदा प्रपत्र में संशोधन :-

- 1 नगर निगम निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तारीख तक प्रशासनिक, तकनीकी या किसी भी कारण से निविदा में संशोधन कर सकता है जो कि www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajsthan.gov.in वेबसाइट पर अपलोड किया जावेगा।
- 2 संशोधन निविदा प्रपत्र का भाग माना जावेगा।

आयुर्क्त नगर निगम जोधपुर दक्षिण

निविदा प्रपत्र पढ व समझ लिया है। इसकी पूर्ण पालना करने को सहमत है तथा अपनी सहमति में मैं / हम निविदा प्रपत्र हस्ताक्षर व सील लगाकर प्रस्तुत कर रहे हैं तथा अपनी दर भरकर प्रस्तुत कर रहे हैं।

> हस्ताक्षर निविदादाता नाम मय मोहर

A go man

कार्य का नाम:— दों रोड स्वीपर मशीनों के रखरखाव, संचालन कार्य हेतु निविदा की नियम व शर्ते

वित्तीय प्रस्ताव

क्र.सं.	कार्य का प्रकार	दर (GST के अतिरिक्त सभी करो सहित)
	रोड स्वीपर मशीन रखरखाव एवं संचालन मय ऑपरेटर, दो श्रमिक, POL, रिपेयर एवं अन्य समस्त मिसलेनियस व्यय सहित	(अंको में) रूपये (शब्दो में) रूपये प्रति मशीन, प्रतिदिन ८ घण्टे

1. GST लागू होने पर पृथक से देय होगी।

निविदादाता हस्ताक्षर नाम मय मोहर

An vir sind

-:: अण्डर-टेकिंग ::-

निविदा के लिये मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत किये गये सभी पत्र व जानकारियां सही व सत्य है, यदि यह गलत व असत्य पायी गयी तो मेरे / हमारे द्वारा प्रस्तुत निविदा निरस्त कर मेरी / हमारी जमा धरोहर राशि जब्त करने के लिये आप अधिकृत है।

मेरे / हम को यह ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रस्तुत पत्र / जानकारी निविदा के कार्य समय में कभी भी असत्य व गलत पायी जाने पर मेरी / हमारी निविदा निरस्त कर दी जावेगी तथा धरोहर राशि व भुगतान आदि राशि जब्त कर ली जावेगी।

मैं / हम यह भी घोषणा करते है कि मैनें / हमने कार्य स्थल तथा कार्य विवरण को देख समझ लिया है। मैं / हम स्वीकार करते है कि हमारी जमा की गई धरोहर राशि तथा सिक्योरिटी डिपोजिट पर ब्याज देय नहीं होगा तथा अगर मैंने / हमनें (1) अपनी निविदा दर की वैद्यता 90 दिवस से कम समय के लिये प्रस्तुत की (2) दरें स्वीकृति के पश्चात् निविदा के निर्देशों की निर्धारित समय में पालना नहीं की (3) आदेशित कार्य समय पर प्रारम्भ नहीं किया (4) निविदा प्रपत्र के व नगर निगम के आदेश / निर्देशों की पालना नहीं की तो नगर निगम द्वारा निविदा निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जायेगी।

नगर निगम के इन वाहनों / मशीनों पर लगाये जाने वाले सभी वाहन चालकों / ऑपरेटर / सुपरवाईजर / सीवर सफाईकर्मी से सम्बन्धित सभी व्यय मैं / हमारे द्वारा वहन किये जायेगे।

में / हम यह भी घोषणा करते है कि इस निविदा कार्य हेतु आवश्यक सभी वाहन / मशीन चालक, प्रशिक्षित सीवर सफाईकर्मी सभी सुरक्षा उपकरणों के साथ मशीन के साथ उपलब्ध करवाकर निविदा शर्तों अनुसार कार्य का संचालन करेंगें।

मुझे / हमें यह ज्ञात है कि सिक्योरिटी डिपोजिट का कार्य समाप्त होने के पश्चात् मांग करने पर बिना ब्याज के भुगतान किया जावेगा।

निविदा स्वीकार होने पर निविदा के नियम, शर्तों, संलग्न प्रपत्रों, निगम आदेशों की पालना करने के लिये मैं / हम बाध्य हैं तथा सहमति देते हैं।

में / हम यह भी घोषणा करते है कि नगर निगम प्रशासनिक, विधिक या अन्य किसी कारण से किसी भी समय कार्यादेश को निरस्त कर सकता है तथा इसका कोई क्षतिपूर्ति भुगतान नहीं किया जावेगा। इसकी में / हम सहमति देते हैं।

मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं / हमारी फर्म कहीं पर भी ब्लैक लिस्टेड नहीं हैं।

मैं / हम यह भी घोषणा करते हैं कि मैं / हमारा कोई भी नजदीकी रिश्तेदार नगर निगम जोधपुर में कार्यरत नहीं हैं।

· ·		
दिनांक		
16.41100	_	

निविदादाता का नाम व हस्ताक्षर मय सील

Vo man

Municipal Corporation Jodhpur South

Declaration by the Bidder in compliance of Section 7 & 11 of the Act

Declaration by the Bidder/ JV

In relation to our Bid submitted to Commissioner, Municipal Corporation Jodhpur South for
procurement of Operation of sewer machines of Municipal Corporation by deploying menpower
as per tender conditions in response to their Notice Inviting Bids No Dated
We hereby declare under Section 7 and 11 of the Rajasthan Transparency in Public
Procurement Act, 2012, that;

- 1. We possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2. We have fulfilled our obligation to pay such of the taxes payable to the Central Government or the State Government or any local authority, as specified in the Bidding Document;
- 3. We are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and are not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. We do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. We do not have a conflict of interest as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, which materially affects fair competition;
- 6. We have complied and shall continue to comply with the Code of Integrity as specified in the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules and this Bidding Document, till completion of all our obligations under the Contract.

Date:		Signature of Bidder
Place:		Name:
		Designation:
	1/	Address:

A M



राजस्थान राजपत्र विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

पौष 22, बुधवार, शाके 1943-जनवरी 12, 2022 Pausa 22, Wednesday , Saka 1943- January 12, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कान्नी नियम।

FINANCE (G&T) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, January 12, 2022

G.S.R.398 .-In exercise of the powers conferred by section 55 of the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 (Act No. 21 of 2012), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Transparency in Public Procurement Rules, 2013, namely:-

- 1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Transparency in Public Procurement (Amendment) Rules, 2022.
- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
 - 2. Amendment of rule 75.- In rule 75 of the said rules,-
 - (i) in proviso to sub-rule (2), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted; and
 - (ii) in proviso to clause (f) of sub-rule (3), for the existing expression "31.12.2021", the expression "31.03.2023" shall be substituted.

[No. F.2(1)FD/G&T(SPFC)/2017]

By Order of the Governor,

Vimal Kumar Gupta,
Joint Secretary to the Government.

1936

Government Central Press, Jaipur.

Can to the state of



राजस्थान सरकार वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : एफ.2(1)वित्त / जीएण्डटी—एसपीएफसी / 2017

जयपुर, दिनांक : 23-12-2020

परिपत्र

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 2(1)वित्त / जीएण्डटी — एसपीएफसी / 2017 दिनांक 18.12.2020 द्वारा आरटीपीपी नियम, 2013 के नियम 42(2) में संशोधन करते हुए आमंत्रित की जाने वाली आगामी बोलियों के संदर्भ में दिनांक 31.12.2021 तक बिड सिक्यूरिटी राशि प्राप्त नहीं करने एवं इसके स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

चूंकि उक्त नियमों में बिड सिक्यूरिटी राशि के स्थान पर बिड सिक्यूरिटी के संबंध में घोषणा पत्र (Declaration) प्राप्त करने का नवीन प्रावधान किया गया है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं के उपयोगार्थ बिड सिक्यूरिटी के संबंध में लिए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) का मानक प्रारूप संलग्न प्रेषित है। राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 3 सपठित अनुसूची के अनुच्छेद 4 के अनुसार घोषणा पत्र (Declaration) पर 50/-रूपये स्टाम्प ड्यूटी देय है तथा इस स्टाम्प ड्यूटी की राशि पर नियमानुसार 30 प्रतिशत सरचार्ज देय है। अतः समस्त उपापन संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि बिड सिक्यूरिटी के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाले घोषणा पत्र (Declaration) पर उक्तानुसार राजस्थान राज्य में स्टाम्प ड्यूटी एवं सरचार्ज का भुगतान सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

सचिव, राज्यपाल / प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री / विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण / राज्य

उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव / विशिष्ठ शासन सचिव ।

3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।

4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।

सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।

6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।

 प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर । प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।

9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।

10. समस्त विभागाध्यक्ष / जिला कलक्टर / संभागीय आयुक्त ।

11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।

12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।

13. समस्त कोषाधिकारी ।

14. समस्त उपापन संस्थाएं। 15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपन्न को वित्त विभाग की वेबसाईट पर

प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।

16. रक्षित पत्रावली।

Room No. 5128, First Floor, Main Building, Government Secretariat, Jaipur (Raj.) - 302005 E-mail - jsfgt@rajasthan.gov.in www.finance.rajasthan.gov.ln 311

Phone No. 0141-2227921

GFR Rules-8

Form of Bid-Securing Declaration

Date : Bid No. :	
Alternative	No.:
To:	
We understa We accept the solution of the follow (a) when the spector of the solution of the	dersigned, declare that: and that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Biding cases, namely: n we withdraw or modify our bid after opening of bids; n we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the iffied period; n we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work within the time specified; n we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work is placed; and breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act an ter VI of these rules.
undertaken fo	above, the State Government shall debar us from participating in any procurement proces or a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereo be forfeited by procuring entity.
We understan	d this Bid Securing Declaration shall expire if:-
(ii) the ex we are (iii) thirty (iv) the car (v) the wi	e not the successful Bidder; ecution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case successful bidder; days after the expiration of our Bid. ncellation of the procurement process; or thdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents te that no such withdrawal is permitted.
-	
In the capacity	of ;
Duly authorized	to sign the bid for and on behalf of:
Dated on Corporate Seal -	day of
Note: In case	of a Joint Venture the Bid Securing Designation

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

amou!